फारम– VIII –क

कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या –8(4)

आप के आवदेन संख्या – ....73.......... तिथि–31-08-19 के संदर्भ में
श्री ....उर्मिला देवी......, पिता/पति–स्व० सच्चिदानन्द सहनी, पता– ...वार्ड 2 जिला
.... पो०– हाजीपुर.....थाना – हाजीपुर, जिला – वैशाली ।

~~(क) आवासीय सह व्यवसायिक भवन के निर्माण~~

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनः निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्त्तन या परिवर्धन

(ड.) भवन के उपयोग में परिवर्त्तन

हेतु हाजीपुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम ....73.......... प्लॉट नं०–1020, 1021 खाता नं०–111, 408
.. तौजी नं०– बिहार सरकार, थाना नं०– ...., मौजा– ...., पता– थाना–हाजीपुर..... जिला–वैशाली
.... के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं० ....73.......... है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल ब्लॉक A 222.0 वर्ग मीटर एवं ....G+4..........
की स्वीकृति दी जाती है :–
ब्लॉक B –1745.76

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्टांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना मे दर्शाया गया .... वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखाजाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.15......... मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहूँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी। 30 फीट

(ड.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में आवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चोड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

All work 2019 j.e saheb

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, हाजीपुर

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयेजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद् हाजीपुर आयोजना क्षेत्र में ....-........ वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की जगह हो, के अधिकारी, हक हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर–फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किए जाने के साथ–आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाए, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनयिमितता / विचलन पाए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental ProtectionAct. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर

पत्रांक : 95 दिनांक : 14-12-19

प्रतिलिपि : उर्मिला देवी पति स्व० सच्चिदानन्द शर्मा, ३७६८ जिला

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर

All work 2019 j.e saheb